

प्रकरण सं० अनवान

Continuation Note Sheet

25-9-21

वकील वादीगण एवं वादीगण अनुपस्थित
 गैरहाजरी का अर्थ कायदा पत्र नहीं है
 वकील वादीगण एवं वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण
 शेष की वसूली नहीं करावई करे है वकील
 वादीगण एवं वादीगण को वादाद्वारा
 लागू करे। अर्थात् नहीं है मग/वस
 अदम हाजरी अदम पत्र है। अर्थात् वकील
 वादीगण एवं वादीगण कायदा पत्र (अदम)
 वादाद्वारा वकील वादीगण कायदा पत्र (अदम)
 वादाद्वारा वकील वादीगण कायदा पत्र (अदम)

